प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2006 (8) एससीसी 1

सात निर्देश

निर्देश एकः राज्य सुरक्षा आयोग :

राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने हेतु निर्देशित किया जाता है जो सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार राज्य की पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव नहीं डालती है और राज्य की पुलिस सदैव देश के कानून और संविधान के अनुसार काम करती है इसके लिए व्यापक नीतिगत दिशा निर्देशों का निर्धारण करे। इस प्रहरी निकाय का नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या गृहमंत्री द्वारा किया जाएगा और राज्य का पुलिस महानिदेशक इसका पदेन सचिव होगा। आयोग के अन्य सदस्यों का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा कि यह सरकार के नियंत्रण से मुक्त रह कर काम करने में समर्थ हो। इस उद्देश्य के लिए, राज्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति या सोराबजी समिति, द्वारा अनुशंसित किसी भी मॉडल का चयन कर सकते हैं। आयोग की सिफरिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। राज्य सुरक्षा आयोग के कार्यों में व्यापक नीतियों का निर्धारण और पुलिस के निरोधक कर्तव्य और सेवा उन्मुख कार्य, राज्य की नीतियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और भविष्य में राज्य विधायिका के सामने प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

निर्देश दोः डीजीपी का कार्यकाल और चयन:

राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन राज्य सरकार द्वारा विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाएगा जिनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उनकी सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और पुलिस का नेतृत्व करने के लिए श्रेणी बद्ध अनुभव के आधार पर, इस पद पर पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल किया गया है। एक बार पद के लिए उनके चयन के बाद सेवा निवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना उनका कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए। हालांकि, डीजीपी को, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के अंतर्गत उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने या किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक हिंसा या भ्रष्टाचार के किसी मामले में दोषी करार दिए जाने या अगर उन्हें किसी अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ करार दिए जाने के फलस्वरूप, उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है।

निर्देश तीनः पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) और अन्य अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल:

पुलिस महानिरीक्षक प्रभारी मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रभारी रेंज, पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद और थानाध्यक्ष प्रभारी पुलिस स्टेशन जैसे क्षेत्र में क्रियाशील कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल भी दो साल निर्धारित होगा जब तक कि, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होने, अपराधिक हिंसा या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने या अधिकारी को अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाहन में असमर्थ पाए जाने, पर उनको समय पूर्व पद मुक्ति करना आवश्यक नहीं हो जाता है। ऐसा, अधिकारी की पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की शर्तों के अधीन होगा।

निर्देश चारः विवेचना और कानून व्यवस्था कार्यों को पृथक किया जाना:

विवेचना को गति देना सुनिश्चित करने, बेहतर विशेषज्ञता और जनता से अपेक्षाकृत अच्छे तालमेल के लिए विवेचना करने वाली पुलिस को कानून व्यवस्था वाली पुलिस से पृथक किया जाएगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि दोनों पक्षों में सम्पूर्ण समन्वय है। आरंभ, में प्थकीकरण दस लाख या उससे अधिक आबादी वाले कस्बों/शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए जिसका विस्तार क्रमशः छोटे कस्बों/शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

निर्देश पांचः पुलिस सस्थापन मंडल :

प्रत्येक राज्य में एक पुलिस संस्थापन मंडल होना चाहिए जो स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति और पुलिस उपाधीक्षक से छोटे पद वाले अधिकारियों के अन्य सेवा सम्बंधी मामलों पर निर्णय लेगा। संस्थापन मडल विभागीय निकाय होगा जिसमें पुलिस महानिदेशक और विभाग के चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सरकार अपने कारणों को दर्ज करने के बाद ही असाधारण मामलों में मंडल के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है। बोर्ड पुलिस अधीक्षक के पद से ऊपर के अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के सम्बंध मे भी राज्य सरकार को उचित संस्तुति करने के लिए अधिकृत होगा, और सरकार से आशा की जाती है कि वह इन संस्तुतियों को यथोचित महत्व देगी और आमतौर पर इसे स्वीकार करेगी। यह पुलिस अधीक्षक के पद और उससे ऊपर के अधिकारियों की तरफ से पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्म कार्यवाहियों या अवैधानिक या अनियमित आदेशों के लिए विवश किए जाने के सम्बंध में दिए गए विरोध पत्रों के निपटाने और सामान्य रूप से राज्य में पुलिस के कार्य की समीक्षा करने के मंच के तौर पर भी काम करेगा।

निर्देश छहः पुलिस शिकायत प्राधिकरण :

जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की पड़ताल करेगा। इसी प्रकार, पुलिस अधीक्षक और ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए राज्य स्तर पर एक अन्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण होना चाहिए। जिला स्तर के प्राधिकरण का नेतृत्व किसी सेवानिवृत्त जिला जज जबकि राज्य स्तर के प्राधिकरण का नेतृत्व हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा किया जा सकता है। राज्य स्तर के शिकायत प्राधिकरण के प्रमुख का चयन मुख्य न्यायधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा; जिला स्तर के शिकायत प्राधिकरण के प्रमुख का चयन भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश या उनके द्वारा नामजद किए गए हाईकोर्ट के किसी जज द्वारा प्रस्तावित पैनल से किया जा सकता है। इन प्राधिकरणों की सहायता तीन या पांच सदस्यों द्वारा की जा सकती है जो विभिन्न राज्यों/जनपदों में शिकायत के विस्तार पर निर्भर करता है, और उनका चयन राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त और राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए पैनल से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पैनल में, सेवानिवृत्त लोक सेवक, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य विभाग के अधिकारी या नागरिक समाज के बीच से सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। वे प्राधिकरण के लिए पूरे समय काम करेंगे और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए उचित मेहनताना दिया जाएगा।

क्षेत्र में जांच काम करने के लिए प्राधिकरण को नियमित कर्मचारी की सेवाओ की आवश्यकता भी हो सकती है। इस मकसद के लिए वे सीआईडी, इंटेलिजेंस, सतर्कता आयोग या किसी अन्य संगठन के सेवानिवृत्त विवेचकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्स स्तर का शिकायत प्राधिकरण पुलिसकर्मियों द्वारा दुराचार के केवल गंभीर आरोपों का संज्ञान लेगा जिसमें मृत्यु, गंभीर चोट या हिरासत में बलात्कार की घटनाएं शामिल हैं। हालांकि, जिला स्तरीय शिकायत प्राधीकरण, उपर्युक्त मामलों के अलावा अन्य आरोपों को भी जांच में शामिल कर सकता है जिसमें जबरन वसूली, जमीन/मकान हड़पना या कोई अन्य घटना जिसमें अधिकार का गंभीर दुरूपयोग शामिल हैं। जिला और राज्य दोनों स्तरों पर, दोषी पुलिस अफसर के खिलाफ, विभागीय या अपराधिक, कार्रवाई के लिए की गई शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें सम्बंधित प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगी।

निर्देश सातः राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग :

केंद्र सरकार भी, केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के सम्बंध में उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकरण के सामने रखने के लिए पैनल तैयार करने हेतु, संघ स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग गठित करेगी। इन्हें दो साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए। बलों की प्रभावशीलता में सुधार करने के उपायों, इसके कर्मियों की सेवा शर्तों में बेहतरी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बीच उचित समन्वय है और बलों का सामान्य रूप से उसी मकसद के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए उनका गठन किया गया था और उसी आधार पर सिफारिशें करने के लिए आयोग समय समय पर समीक्षा भी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का नेतृत्व केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा किया जा सकता है और संघ के गृह सचिव इसके सचिव के तौर पर और सदस्यों में केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख और दो सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।